चैकिंग अभियान के दौरान 01 अभि0 को 120 ग्राम नाजायज नशीला पाउडर एल्प्राजोलम सहित किया गिरफ्तार

श्रीमान विरष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक सिहानी गेट श्री कृष्ण गोपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में चैकिंग के दौरान <mark>थाना सिहानी गेट</mark> पुलिस द्वारा दि0 17.11.2020 को अभि0 अभय वर्मा पुत्र पदम कुमार वर्मा नि0 541 विवेकानन्द नगर जागेश्वर मन्दिर के पास थाना कविनगर जनपद गा0बाद को होली चाईल्ड स्कूल तिराहे से करीब 25 कदम नासिरपुर फाटक की ओर चौकी क्षेत्र दयानन्दनगर से 120 ग्राम नाजायज नशीला पाउडर एल्प्राजोलम सहित समय 23.40 बजे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।

पूछताछ का विवरण-

दिनाँक 17.11.2020 को चैकिंग अभियान के दौरान चौकी दयानन्दनगर क्षेत्र मे नासिरपुर फाटक की ओर एक लडका आता दिखायी दिया जिसे रोकने का इशारा किया तो पीछे मुडकर भागने का प्रयास करने लगा तेजी से पुलिसकर्मियो द्वारा भागे हुये व्यक्ति को 23.40 बजे पकड लिया पकडे जाने पर व्यक्ति ने अपना नाम अभय वर्मा उपरोक्त बताया तलाशी ली गयी तो 120 ग्राम नाजायज नशीला पाउडर एल्प्राजोलम बरामद हूई तथा अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं इनकी छोटी छोटी पुडिया बनाकर नशेडियो को बेच देता ह।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

अभय वर्मा पुत्र पदम कुमार वर्मा नि0 541 विवेकानन्द नगर जागेश्वर मन्दिर के पास थाना कविनगर जनपद गा0बाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0स0 1843/20 धारा 8/21 NDPS ACT थाना सिहानी गेट गाजियाबाद

बरामदगी

120 ग्राम नाजायज नशीला पाउडर एल्प्राजोलम



थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 2 किलो ग्राम गांजा के साथ एक शातिर महिला गांजा तस्कर गिरफ्तार

श्रीमान विरष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में <mark>थाना विजयनगर</mark> पुलिस को शातिर मादक पदार्थों तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 18/11/2020 को चेकिंग के दौरान एक शातिर अभियुक्ता को **2 किलो ग्राम नाजायज गांजा** के साथ चाँदमारी झुग्गी झोपड़ी चौकी प्रताप विहार थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्ता

- 1- महिला अभियुक्ता नि0 चाँदमारी झुग्गी झोपड़ी थाना विजयनगर गाजियाबाद *पंजीकृत अभियोग का विवरण*
- 1- मु.अ.स. 1473/20 धारा 8/20 NDPS Act. थाना विजय नगर गाजियाबाद ***बरामदगी का विवरण***
- 2 किलो ग्राम गांजा



नरेश त्यागी की हत्या के सम्बन्ध में थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनाँक 09.10.2020 को श्री नरेश त्यागी की हत्या 02 अज्ञात बदमाशो द्वारा कर दी गयी थी जिसके सम्बन्ध में मु0अ0स0 1600/20 धारा 302/120 बी भादिव <mark>थाना सिहानी गेट</mark> पर पंजीकृत किया गया था । घटना के सफल अनावरण के लिये श्रीमान विरष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा कई टीमो का गठन किया गया था सुरागरसी पतारसी व मुखबिरान से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जितेन्द्र त्यागी को गिरफ्तार किया गया अभियुक्त जितेन्द्र त्यागी ने पूछताछ में बताया कि मैने व गिरीश ने पारिवारिक रंजिश के तहत एक षडयन्त्र रचते हुये कुछ बदमाशों से नरेश पाल की हत्या करवा दी थी। जितेन्द्र त्यागी द्वारा बताये गये सभी तथ्यों को विवेचना में शामिल कर तस्दीक किया जा रहा है एंव शेष अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

पूछताछ का विवरणः-

साजिश कर्ता जितेन्द्र त्यागी द्वारा बताया गया कि मेरा और गिरीश (मृतक का बडा भांजा) का कई वर्षों से उठना बैठना व मिलना जुलना है नरेश की हत्या होने से करीब 2 महीने पहले ही मैने व गिरीश ने नरेश की हत्या की योजना बना ली थी जिसके तहत हम घटना के 2 दिन पहले दिनांक 7.10.2020 को लखनऊ चले गये थे और तय किया था कि घटना के हो जानेके बाद ही गाजियाबाद लौटकर आयेगें जिससे हम पर किसी को शक न हो लेकिन घटना की खबर लगते ही गिरीश त्यागी घबरा गये मेरा और अपना फोन बंद कर दिया घबराहट के कारण फरार हो गये और घटना में संलिप्तता होने के कारण ही गिरीश अपने संगे मामा के अन्तिम संस्कार में सम्मलित नहीं हुआ हम अभी तक टैक्सी आदि के माध्यम से विभिन्न शहरों में छिप रहे थे तथा लगातार फरार चल रहे थे।विवेचना साक्ष्यों के आधार पर प्रचलित है।

<u>नाम पता अभियुक्त-</u>

1. जितेन्द्र त्यागी पुत्र रामनिवास त्यागी नि0 मोहल्ला सद्दीकनगर सिहानी थाना सिहानी गेट गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

- 1.म्0अ0स0 0995/15 धारा 307 भादवि थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद
- 2.म्0अ0स0 0060/17 धारा 147/148/149/307/323/504/506 भादवि थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद
- 3. मु0अ0स0 0170/17 धारा 143/188 भादवि थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद
- 4.मु0अ0स0 1698/2017 धारा 29/3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद
- 5.मु0अ0स0 1367/13 धारा 147/148/149/302/504/506 भादवि थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद
- 6. मु0अ0सं0 1543/2020 धारा 147,452,365,511,506,354 भादवि व 3(2)V क SC/ST ACT थाना कविनगर जिला गाजियाबाद



धोखाधडी करने वालो के विरुद्ध चले चैकिंग अभियान के अन्तर्गत 02 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक <mark>सिहानी गेट</mark> श्री गोपाल कृष्ण शर्मा के कुशल नेतृत्व में चैकिंग के दौरान नये बस अडडे से थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा दि0 17/11/20 को समय 20.15 बजे गिरफ्तार किया।

पुछताछ का विवरण -

दिनांक 18/11/19 को वादी धर्मपाल सैनी पुत्र स्व0 श्री उग्रसैन सैनी नि0 44 अम्बेडकर रोड पूर्वी माडल टाउन सिहानीगेट गा0बाद द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 1727/2019 धारा 420/504/506/406/352/447/448 भा0द0वि0 बनाम चार्ली व माईकल उपरोक्त थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया गया था। जिसमें प्लाट न0 2 अम्बेडकर रोड भूखण्ड में किरायेदारान थे जिसे खाली करने की एवज में 37 लाख 50 हजार रु० लेकर भी खाली नहीं किया तथा 50 लाख रु० अलग से माग करके धोखाधडी कर अमानत में खयानत की थी जिन्हें अम्बेडकर रोड पर दिनांक 17/11/2020 को मुखबिर खास की सूचना मिली कि पर दोनो अभि0गण को हिर मन्दिर के पास नेहरुनगर से गिरफ्तार किया गया मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आपके मुकदमें के अभियुक्त माइकल व चार्ली हिर मंदिर के पास कहीं जाने की फिराक में खड़े हैं पुलिस टीम द्वारा दोनो वांछित NBW मा0 न्यायालय से दिनांक 06/11/2020 को जारी आदेश के अनुपालन में को हस्बकायदा गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.चार्ली पुत्र सीबी सत्यायन 2-माइकल पुत्र चार्ली निवासी गण मकान नंबर 02 निकट आशीर्वाद होटल अंबेडकर रोड थाना सिहानी जनपद गाजियाबाद पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

_____ मु0अ0सं0 1727/2019 धारा 420/504/506/406/352/447/448 भा0द0वि0 थाना सिहानीगेट गा0बाद

